<u>उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल</u>

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी
और
माननीय श्री न्यायाधीश राकेश थपलीयाल

<u>लिखित याचिका (एस/बी) 2023 का संख्या 452</u>
<u>2 नवंबर, 2023</u>

बद्रीश कुमार .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए वकील : श्री रितुपर्णा जोशी और श्री शिवानंद भट्ट, विद्वान वकील

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील : श्री एस. एस. चौधरी, उत्तराखंड राज्य के लिए विद्वान संक्षिप्त धारक/प्रतिवादी संख्या 1 और 2
: श्री आशीष जोशी, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता

न्यायालय ने यह निर्णय दिया :

<u>निर्णय</u> : (माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी के अनुसार)

इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांकित 22.12.2014 नियुक्ति आदेश को रद्द करने के लिए यथास्थिति अधिकार पृच्छा जारी करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 4 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर उप शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था।

2) यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने उप-शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ लेने का दावा किया, जो उनके लिए उपलब्ध नहीं था, क्योंकि पहले भी उन्होंने राज्य सरकार के राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति पाने के लिए उक्त आरक्षण का लाभ उठाया था।

3) इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने उन नियमों पर भरोसा किया है, जिन्हें पूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुन: रोजगार) नियम, 1979 के रूप में जाना जाता है। उक्त नियमों का प्रासंगिक खंड, जिस पर भरोसा किया गया है, नीचे दिया गया है:

" छूट केवल प्रथम नागरिक रोजगार के लिए स्वीकार्य है। यह निर्णय लिया गया है कि एक बार जब कोई पूर्व सैनिक नागरिक पक्ष में सरकारी नौकरी में शामिल हो जाता है, तो उसे पूर्व सैनिक के रूप में अपने पुनः रोजगार के लिए दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद, उसकी पूर्व सैनिक स्थिति, सरकार में पुनः रोजगार के प्रयोजन के लिए बंद हो जाता है। सिविल रोजगार में शामिल होने पर, वह एक सिविल कर्मचारी माना जाता है और इस संबंध में मौजूदा निर्देशों के अनुसार सामान्य पाठ्यक्रम में सिविल कर्मचारियों को स्वीकार्य आयु में छूट आदि जैसे लाभों का ही हकदार होगा, बशर्ते ऐसे लाभों के अनुदान को नियंत्रित करने वाली अन्य शर्तों के अधीन हो। "

4) उक्त खंड के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 ने पहले कनिष्ठ सहायक के रूप में रोजगार प्राप्त करके पूर्व सैनिक को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाया था, इसलिए उप शिक्षा अधिकारी के पद पर बाद के नागरिक रोजगार के संबंध में उक्त आरक्षण के लाभ का उसके द्वारा दावा नहीं किया जा सकता था।

5) हालाँकि, राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा जिस खंड पर भरोसा किया गया है वह वैधानिक नियमों का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे 02.05.1985 को डीओपी एंड टी द्वारा जारी एक परिपत्र से लिया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन नियमों और डीओपी एंड टी सर्कुलर पर भरोसा किया गया है, वे राज्य सेवाओं में लागू नहीं हैं, और केवल केंद्र सरकार के तहत रोजगार के संबंध में लागू हैं।

6) राज्य के विद्वान वकील ने इस संबंध में उपरोक्त नियमों के नियम 3 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

" ये नियम सभी केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों, समूह "सी" और समूह "डी" और सभी अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट स्तर के पदों पर लागू होंगे।"

7) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने न्यायालय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा 11.09.2019 को जारी एक सरकारी आदेश प्रस्तुत किया, जिसके तहत भारत सरकार के डीओपी एंड टी द्वारा 02.05.1985 को जारी परिपत्र को राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया था। चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 4 की नियुक्ति वर्ष 2014 में उप शिक्षा अधिकारी के पद पर हुई थी, अत: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है , भले ही इसे वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया था।

8) उपरोक्त को देखते हुए, मामले में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। रिट याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

_____

मनोज कुमार

तिवारी, ए. सी. जे.

_____

राकेश थापलीयाल , जे.

दिनाक : 2 नवंबर, 2023

नेगी